

## कार्यालय-जिला कार्यक्रम अधिकारी, शाहजहाँपुर।

पत्रांक **1845** / जिकाअ / स्था0-आ०बा० / 2025-26

दिनांक 10 दिसम्बर, 2025

### विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद शाहजहाँपुर में पूर्व विज्ञापित पदों में नगरीय/ग्रामीण परिक्षेत्रों में आगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त रह गये पदों पर शासनादेश संख्या-1/1092246/2005/3013/58-1-2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार मानदेय आधारित नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत पात्र एवं इच्छुक महिला अभ्यर्थियों से विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत है-

परियोजनावार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों का विवरण			
क्र०सं०	परियोजना का नाम	ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र	आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4
1	शहर	नगरीय	10
2	मदनापुर	ग्रामीण	5
3	जैतीपुर	ग्रामीण	2
4	जलालाबाद	ग्रामीण	2
5	पुवार्यौ	ग्रामीण/नगरीय	5
6	कलान	ग्रामीण	2
7	खुटार	ग्रामीण	3

उपरोक्त रिक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार/आरक्षणवार विवरण आंगनबाड़ी भर्ती पोर्टल विभागीय वेबसाइट (<http://upanganwadibharti.in>) पर उपलब्ध है। उक्त विज्ञापित जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा है।

### विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

1. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
2. रिक्त पदों (आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी। मेरिट का निर्धारण शासनादेशानुसार इण्टरमीडिएट से परास्नातक तक की योग्यता के आधार पर किया जायेगा।
3. निवास एवं जाति के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसील से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका सत्यापन ऑनलाइन किया जा सके।
4. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-3959/1-9-11-राज0-9 दिनांक 30.09.2011 के क्रम में सम्बन्धित तहसील के सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन किया जा सके।
5. आवेदिका की आयु हेतु निर्धारित कट ऑफ तिथि 01.07.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगा।
6. चयन में सम्बन्धित ग्राम सभा/वार्ड (नगरीय क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सर्वप्रथम विधवा तत्पश्चात् तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।
7. विधवा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी/नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र अथवा परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी तथा तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगा।
8. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (नगरीय क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा तत्पश्चात् तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।
9. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है, जिन पर ही आवेदिका द्वारा अपने विवरण सही-सही सावधानी पूर्वक भरे जायेंगे।
10. आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व सहज पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भी किया जायेगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे।

11. आवेदन पत्र भरने में पूर्ण सावधानी बरती जाये, विभिन्न प्रमाण-पत्रों में अंकित संख्या, जन्मतिथि, शैक्षिक अंक तथा प्रतिशत अनिवार्य रूप से प्रमाण-पत्र में दर्ज विवरण से मिलान करते हुए अंकन किया जाये।
12. यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेंगे तो अभ्यर्थन निरस्त होने का समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।
13. एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका पद पर नहीं की जायेंगी।
14. आवेदककर्ता द्वारा आवेदन करते समय, उस केन्द्र का नाम आवेदन में अवश्य अंकित/चयनित करना अनिवार्य है, जिस केन्द्र हेतु वह आवेदन कर रही है।
15. आवेदनकर्ता आवेदन को भली-भांति पढ़ने के उपरान्त ही Submit करें। आवेदन भरने में हुयी त्रुटि के फलस्वरूप आवेदन निरस्त कर दिये जाने हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
16. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31.12.2025 की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,  
जनपद-शाहजहाँपुर।

**पृष्ठांकन-संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।**

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहाँपुर।
- 4- सहायक निदेशक, सूचना, शाहजहाँपुर को इस अनुरोध के साथ कि स्थानीय समाचार पत्रों में उक्त विज्ञप्ति को निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, शाहजहाँपुर को इस अनुरोध के साथ कि जनपद की एन०आई०सी० वेबसाइट पर विज्ञप्ति, एतद्विषयक शासनादेश दिनांक 17.09.2025 एवं आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों का विवरण को अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 6- सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति की एक प्रति अपनी-अपनी तहसील के उपजिलाधिकारी, विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी को उनके कार्यालय सूचना बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु उपलब्ध कराते हुए अपने-अपने परियोजना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
- 7- नाजिर, कलेक्ट्रेट/विकास भवन को विज्ञप्ति की प्रति चस्पा हेतु।
- 8- सम्बन्धित पटल सहायक, जिला कार्यक्रम कार्यालय, को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु।
- 9- कार्यालय प्रति, सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,  
जनपद-शाहजहाँपुर।